मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।

पंत्राक 397 / सम्पत्ति / 2022–23 दिनॉक 4/8/2022

सूचना

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा धौलास आवासीय योजना में निमार्णाधीन 240 दुर्बल आय वर्ग के फ्लैटों हेतु आवेदन फार्म दिनॉक 05-08-2022 .... से दिनॉक 04-09-2022 के मध्य आमंत्रित किये जाते है। विस्तृत जानकारी www.mddaonline.in पर उपलब्ध है।

ह० 5/8/22

संयुक्त सचिव म0दे0वि0प्रा0, देहरादून।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।

द्वारा

प्रधानमंत्री आवास योजना

में निर्माणाधीन–सबके लिए आवास (शहरी)

के अन्तर्गत धौलास आवासीय योजना में दुर्बल आय वर्ग के 240 फ्लैटों में भवन प्राप्त करने का

सुनहरा अवसर

प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) के अन्तर्गत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा धौलास आवासीय योजना में निर्माणाधीन 240 फ्लैटों के आवंटन हेतु प्रधानमंत्री आवासीय योजना के पोर्टल पर **UID** पंजीकृत आवेदकों, जिनके द्वारा नगर निगम देहरादून के माध्यम से पंजीकरण कराया गया है, के आवेदकों, से दिनॉक 05–08–2022 से दिनॉक 04–09–2022 के मध्य आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। पंजीकरण फार्म पी0जी0आर0 सैल, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण कार्यालय ट्रॉसपोर्टनगर देहरादून, बैंक आफ बड़ौदा **(Bank of Baroad)** शाखा ट्रॉसपोर्टनगर, देहरादून, इंनड़सइंड़ बैंक **(Induslnd Bank)** कृष्णा टॉवर 69 राजपुर रोड़ देहरादून एंव आई0एस0बी0टी0 स्थित मार्केटिग सैल एम0डी0डी0ए0 कैम्प कार्यालय देहरादून, से प्राप्त कर, बैंक आफ बड़ौदा **(Bank of Baroad)** शाखा ट्रॉसपोर्टनगर, देहरादून एवं इंनड़सइंड़ बैंक **(Induslnd Bank)** कृष्णा टॉवर 69 राजपुर रोड़ देहरादून में पूर्ण रूप से भरकर तथा आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर निर्धारित तिथियों के मध्य जमा किए जा सकेंगे। दिनॉक 04–09–2022 के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा। पंजीकरण आवेदन–पुस्तिका में अंकित समस्त नियम/शर्ते आवेदकों पर यथावत लागू होगी।

उत्तराखण्ड शासन

प्रधान मंत्री
आवास योजना-शहरी
Pradhan Mantri Awaas Yojana Urban

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

धौलास आवासीय योजना

दुर्बल आय वर्ग हेतु आवास

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

ट्रांसपोर्ट नगर, सहानपुर रोड, देहरादून।
फोन: 0135-6603150, मो0 9012451953
वेबसाईट:- www.mddaonline.in ई मेल:- infomdda@mddaonline.in
TOLL FREE NO. 1800-270-2533

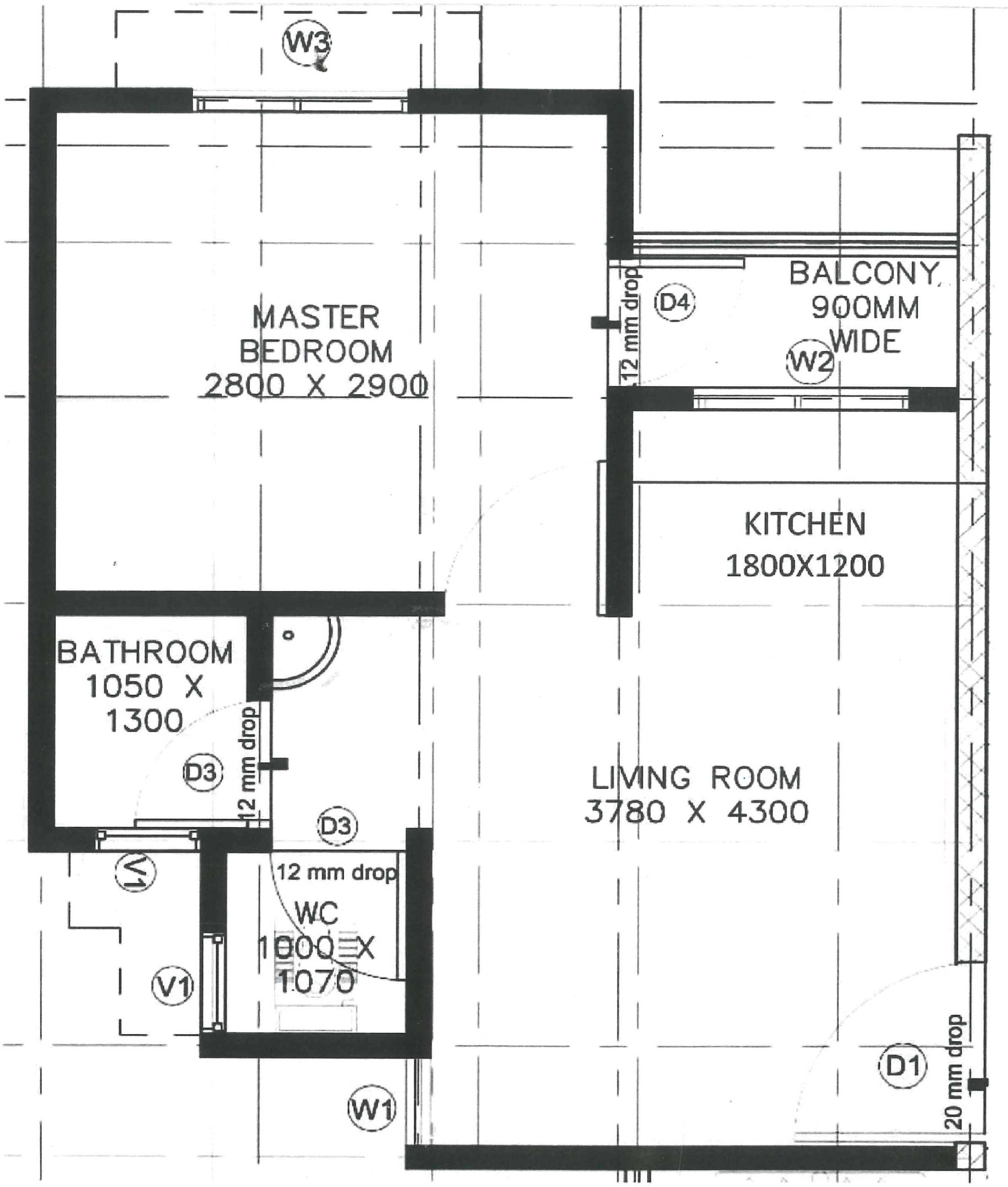

Build up Area of 1Unit **(including Balcony)**	**=**	**31.05 sqm** **334.22 sq. ft**

प्रधान मंत्री
आवास योजना शहरी
Pradhan Mantri Awaas Yojana Urban

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत (शहरी)

घोषणा पत्र (निम्नलिखित शपथ पत्र रू0 10/–के स्टाम्प पत्र पर नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित कराकर पंजीकरण फार्म के साथ जमा कराना होगा।)

समक्ष– सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी...

निवासी...निम्निलिखित शपथ लेता/लेती हूं।

1. मेरे अथवा मेरे परिवार के सदस्यों द्वारा इस आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत नहीं कराया गया है।

2. मैं भारत का/ही नागरिक हूं, मैं बालिग हूं, तथा सम्पूर्ण भारतवर्ष में कहीं भी मेरे स्वयं एवं मेरे परिवार के सदस्यों का कोई पक्का आवास नहीं है।

3. मेरी/मेरे परिवार की वार्षिक आय रू0 ....है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

4. मेरे द्वारा आवेदन पत्र के साथ ही उल्लिखित शर्तो आदि को स्पष्ट रूप से समझ लिया है तथा मै उनके पालन के लिए बचनबद्ध हूं।

5. मेरे द्वारा आवंटित सम्पत्ति का भू–उपयोग परिवर्तित नही किया जायेगा। आवंटित सम्पत्ति उसी उद्धेश्य के लिए प्रयोग में लायी जायेगी जिसके लिए आंवटित की जायेगी।

6. मुझे [redacted] प्राधिकरण द्वारा आंवटित फ्लैट के लीज होल्ड से फ्री–होल्ड में परिवर्तित किये जाने की सभी शर्ते व नियम मान्य है।

7. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूंगा/करूंगी। यदि मेरे द्वारा कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

8. वाद विवाद हेतु स्थानीय न्यायालय का ही अधिकार क्षेत्र होगा जिसके लिये आवेदक/आवंटी वचनबद्ध होगा।

शपथ कर्ता के हस्ताक्षर

घोषणाः– मैं एतदद्वारा शपथपूर्वक बयान करता/करती हूं कि मेरे द्वारा उपर्युक्त क्रमाक 1 से 8 तक दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी सत्य छिपाया नहीं गया है।

शपथ कर्ता के हस्ताक्षर

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

ट्रांसपोर्ट नगर, सहानपुर रोड, देहरादून।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत

धौलास आवासीय योजना मे ई0डब्लू0एस0 फ्लैट्स हेतु आवेदन फार्म

1. आवेदन क्रम सं0 :

2. योजना का नाम : धौलास आवासीय योजना

पोसपोर्ट फोटो
स्व:प्रमाणित

3. प्रधानमंत्री आवास योजना में/शहरी आवास हेतु चयनित पंजीकृत नम्बर का UID / सर्वे नं0
(शहरी विकास विभाग हेतु भारत सरकार के पोर्टल द्वारा प्रस्तुत)

4. आवेदक का नाम :
श्री/श्रीमती सुश्री :

5. पत्र व्यवहार का पता :

6. स्थायी पता :

7. श्रेणी:– सामान्य / अ0 जा0 / अ0 जा0 जा0 / ओ0बी0सी0

8. वार्षिक आय रू0 में 9. आयु : 10. लिंग 11. वैवाहिक स्तर

12. पिता/पति का नाम
श्री/श्रीमती सुश्री :

13. पैन कार्ड/आधार/राशनकार्ड न0 14. मोबाईल नं0

15. संलग्नक: 1..
2. ....
3. ....
4. ....

DD Cheque Cash

16. जमा धनराशि रू0– दिनांक : बैंक :

नोट:– आवेदक द्वारा आवेदन फार्म के साथ पैन कार्ड की प्रति, वर्तमान का पता का साक्ष्य, आधार कार्ड की छाया प्रति, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्र, अपने खाते का कैन्सिल चैक, पी0एम0ए0वाई0के अन्तर्गत पंजीकरण का साक्ष्य एवं अन्य सम्बन्धित प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत
निर्मित /निर्माणाधीन/ प्रस्तावित दुर्वल आय वर्ग फ्लैटों हेतु नियम एवं शर्ते।

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत आवास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या **305/V-2, 2018-66 (आ0) / 2017, दिनॉक 16 मार्च 2018** के अनुसार दुर्वल आय वर्ग के प्रति फ्लैट का मूल्य रू0 **6.00 लाख** निर्धारित है, जिसमें वर्तमान परिस्थितियों के कम में **रू0 1.50** प्रति इकाई केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा **रू0–1.00** लाख राज्य सरकार द्वारा अनुदान अनुमन्य है। लाभार्थी द्वारा **रू0–3.50** का भुगतान किया जाना है। पंजीकरण हेतु फ्लैट के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत अर्थात् **रू0–35,000.00** (रूपये पैंतीस हजार मात्र) जमा कराना आवश्यक होगा।

2. दुर्वल आय वर्ग धौलास आवासीय योजना में प्रति फ्लैट का Built-up area 31.05 वर्गमीटर है

3. उत्तराखण्ड शहरी विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत नगर निगम देहरादून द्वारा चिन्हित एवं आवेदनकर्ताओं द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में किये गये आवेदन के उपरान्त लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जायेगा। लाभार्थी को अपना आधार कार्ड/फोटो पहिचान पत्र/पेन कार्ड,/राशनकार्ड, जाति प्रमाण पत्र एवं दो नवीनतम पासपोर्ट साईज की फोटो प्राधिकरण में फार्म के साथ जमा कराने होंगे।

4. लाभार्थी द्वारा आवास आवंटन से पूर्व एक पंजीकृत शपथ पत्र देना होगा कि लाभार्थी को प्राप्त सर्वे कोड़ में अंकित परिवार के सदस्यों का सम्पूर्ण भारत में कहीं भी आवास नहीं है, तथा लाभार्थी को आंवटन सम्बन्धित सभी शर्ते मान्य है।

5. लाभार्थियों को आवास आंवटन हेतु आवेदन परिवार की प्रमुख महिला सदस्य के नाम से आवेदन करना होगा। अपितु परिवार में कोई भी महिला सदस्य न होने, अथवा होने पर वयस्क न होने की स्थिति में, परिवार के प्रमुख पुरूष सदस्य के नाम से आवास आवंटन हेतु आवेदन किया जा सकता है।

6. आवास आवंटन के उपरान्त यदि आंवटी द्वारा आवंटित आवास समर्पण किया जाता है तो जमा पंजीकरण धनराशि का 10 प्रतिशत कटौती करने के उपरान्त अवशेष धनराशि वापस की जायेगी।

7. आवंटन के उपरान्त कब्जा प्राप्त करने से पूर्व यदि आवंटी आवंटित आवास का समर्पण करता है तो जमा धनराशि का 25 प्रतिशत कटौती करने के उपरान्त अवशेष धनराशि वापस की जायेगी।

8. आवंटन पत्र के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर आवंटी को निर्मित फ्लैटों का अवशेष मूल्य का भुगतान प्राधिकरण कोष में बैंक के माध्यम से जमा कराना आवश्यक होगा, एवं निर्माणाधीन/प्रस्तावित लैटों का अवशेष मूल्य कब्जे से पूर्व जमा कराना होगा। कब्जा प्राप्त करने की तीन माह की अवधि में आवंटित फ्लैट में प्रवेश करना अनिवार्य होगा। अन्यथा लाभार्थी का आवंटन निरस्त कर प्रतीक्षा सूची के लाभार्थी को आवंटित कर दिया जायेगा।

9. फ्लैट का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त यदि कोई आवंटी शर्तो का उल्लंघन करने, अपात्र सिद्ध होने एवं तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्य प्रस्तुत कर आवंटन कराता है, तो ऐसी परिस्थितियों में जमा धनराशि जब्त करते हुए आवंटन निरस्त कर भौतिक कब्जा वापस ले लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का अन्तिम निर्णय होगा।

10. आवंटी द्वारा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/विभिन्न अन्य निकायों से सम्बन्धित देय फ्लैट के कब्जे के उपरान्त निर्धारित प्राविधानों के अनुसार देय सभी करों का भुगतान स्वयं करना होगा।

11. आवंटित फ्लैट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन मान्य नहीं होगा।

12. फ्लैट के सबसे ऊपरी तल के छत का अधिकार प्राधिकरण में निहित होगा।

क्रमशः

13. आवंटी को आवंटित फ्लैट को प्राधिकरण की पूर्व अनुमति प्राप्त करते हुये ऋण प्राप्त करने के लिये बन्धक रखने का अधिकार होगा,जिसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राधिकरण द्वारा जारी किया जायेगा। फ्री होल्ड रजिस्ट्री से पूर्व प्रथम अधिकार प्राधिकरण में सुरक्षित रहेगा।

14. उत्तराखण्ड आवास नीति 2017 के अनुसार दुर्वल आय श्रेणी के लाभार्थियों हेतु स्टाम्प शुल्क रू0 5000/– निर्धारित होगा।

15. फ्लैट के आवंटन के पश्चात 10 वर्षो तक उक्त आवंटित फ्लैट को किसी अन्य को विकय करने का अधिकार नहीं होगा और नहीं किराये पर दिया जा सकेगा।

16. आवंटित फ्लैट का RWA(Resident Welfare Association) द्वारा नियत एक मुश्त राशि एवं प्रतिमाह अनुरक्षण (Maintenance) चार्ज लाभार्थी को RWA को स्वयं भुगतान करना होगा। RWA गठन से पूर्व (Maintenance) शुल्क प्राधिकरण में जमा करना होगा।

17. फ्लैट का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त फ्लैट की आन्तरिक देखभाल एवं अनुरक्षण का दायित्व स्वयं आवंटी का होगा तथा योजना के अन्तर्गत वाह्य अनुरक्षण हेतु आवंटियों को अपनी पंजीकृत वैलफियर सोसायटी का गठन कराना होगा, तथा आवंटी वैलफियर सोसायटी का सदस्य होगा।

18. आवंटित फ्लैट में विद्युत एवं जल संयोजन का कनैक्शन आवंटी को स्वयं कराना होगा।

19. आवंटन पश्चात किसी आवंटी के मृत्यु होने के उपरान्त उसके वारिसों के नाम पर नियमानुसार वारिसान प्रमाण पत्र/उत्तरजीवी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त नामान्तरण किया जा सकेगा।

20. निर्मित फ्लैट जैसे हैं जहॉ के आधार पर आवंटित किये जा रहे हैं इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।

21. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा लाभार्थियों के पक्ष में आवंटित फ्लैट का नम्बर व तल का परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

22. उक्त आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत किये जा रहे हैं इस कम में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत सभी शर्ते लाभार्थी को मान्य होंगी एवं लाभार्थी पर लागू होंगी।

23. लाभार्थी को आवेदन फार्म के साथ इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि वह नगर निगम देहरादून की सीमाओं में 17 जून 2015 से पूर्व का निवासरत है। उपर्युक्त के कम आधारकार्ड, पैन कार्ड, राशनकार्ड, बैंक पास बुक, राज्य सरकार के विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र आदि की प्रति भी प्रस्तुत की जा सकती है।

24. लाभार्थी को फ्लैट आंवटन उपरान्त कब्जा प्राप्त करने के बाद, आंवटित फ्लैट में निवासरत होना होगा, यदि कभी भविष्य में जाँच किये जाने पर यह पाया जाता है, कि आंवटी स्वंय निवासरत नही है, या आंवटी द्वारा आवंटित फ्लैट को किराये पर दे रखा है, तो आंवटित फ्लैट का आंवटन निरस्त करते हुये आंवटी के विरूद्व नियामनुसार कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।

25. योजना के अर्न्तगत जारी किये गये सभी नियम/शर्ते ब्रोशर में उल्लेखित शर्त घोषणा पत्र मे उल्लेखित शर्ते एव योजना से सम्बन्धित समय–समय पर जारी नियत व शर्ते एवं अनुबन्ध के रूप में लागू होगी, और आवंटी को पूर्ण रूप से मान्य होगी।

26. आवंटन हेतु आवेदन करने के इच्छुक लाभार्थियों का पंजीकरण भारत सरकार के पोर्टल पर होना अनिवार्य होगा, तथा आवंटन पत्र पर यू0आई0डी0/सर्वे कोड नम्बर जो नगर निगम, देहरादून द्वारा प्राप्त किया गया हो, को आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा।